

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 496 सन 2021

अनवान :-

1. वकील पुत्र देवीलाल जाति जाट निवारी वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. विमला पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
2. भंवरी पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
3. भावना पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
4. मितु पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
5. सुमन पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
6. सरिता पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
7. रामप्यारी पत्नी देवीलाल देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7240 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/480 हिस्सा, रोही मौजा रेखगालिया के खाता संख्या 90/84 की कुल 27.9490 हैक् में से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 4659/2235920 हिस्सा, रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 113/112 की कुल 23.1050 हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 2407/462100 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में देवीलाल के नाम से दर्ज थी देवीलाल वादी का पिता है वादी के पिता देवीलाल का देहान्त हो चुका है देवीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 7 एव देवीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी की माता/बहन है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सामान तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता देवीलाल के देहान्त होने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिरामें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7240हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/480 हिस्सा, रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 90/84 की कुल 27.9490हैक् में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 4659/2235920 हिस्सा, रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 113/112 की कुल 23.1050हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 2407/462100 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में देवीलाल के नाम से दर्ज थी देवीलाल वादी का पिता है वादी के पिता देवीलाल का देहान्त हो चुका है देवीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 7 एवं देवीलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने रदीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी राहगति / राजी-नामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रवली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7240हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/480 हिस्सा, रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 90/84 की कुल 27.9490हैक् में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 4659/2235920 हिस्सा, रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 113/112 की कुल 23.1050हैक् में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 2407/462100 हिस्सा भूमि दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पिता देवीलाल के नाम से दर्ज थी वादी के पिता देवीलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के


उपखण्ड अधिकारी
बोहर

कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकदाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी की बहने है एव प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकदाल पेश किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग वाद के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकदाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सचुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सचुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7240हैव में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/480 हिस्सा, रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 90/84 की कुल 27.9490हैव में से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 4659/2235920 हिस्सा, रोही मौजा गिराजरासर के खाता संख्या 113/112 की कुल 23.1050हैव में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 2407/462100 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीय तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलारा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नाहर (रुनुमानगढ़)
जहिर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनुदान :-

1. वकील पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. विमला पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
2. भंवरी पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
3. भावना पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
4. भित्तु पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
5. सुमन पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
6. सरिता पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर
7. रामप्यारी पत्नी देवीलाल देवीलाल जाति जाट साकिन वार्ड संख्या 13 गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 496 सन 2021 निर्णय दिनांक-16/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 48/40 की कुल 10.7240 हैक्टर में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/480 हिस्सा, रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 90/84 की कुल 27.9490 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 4659/2235920 हिस्सा, रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 113/112 की कुल 23.1050 हैक्टर में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 2407/462100 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजाराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उमयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)